

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 133 / 2025 बउनवानी रामसहाय्य बनाम अति०जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

GCMS No-2025/295

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जज
17.11.2025	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपरिथत नही हुआ। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 2.7.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्रांक/सतर्कता/परिवाद/2025/410 दिनांक 3.3.2025 एवं 684 दिनांक 3.4.2025 पर तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति" अति०जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/आरटीआई/2025/978 दिनांक 17.11.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 2.7.2025 मे चाही गयी सूचना के लिए तहसीलदार गंगापुर सिटी को जरिये पत्रांक 862 दिनांक 13.10.2025 से लिखा गया किन्तु तहसीलदार गंगापुर सिटी कोई जवाब नही भिजवाया गया है। इसलिए अपीलान्त को कोई सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 2.7.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना अपीलान्त को उपलब्ध करवाने बाबत अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा जरिये पत्रांक 862 दिनांक 13.10.2025 से तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा गया था किन्तु तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अभी तक अपीलान्त को उक्तानुसार वांछित सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है ओर ना ही सूचना उपलब्ध नही करवाने का कोई विधिसम्मत कारण बताया गया है। तहसीलदार गंगापुर सिटी का उक्त कृत्य सूचना का अधिकार अधिनियम ,2005 के प्रावधानों के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है। अतः तहसीलदार गंगापुर सिटी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्त द्वारा चाही गयी सूचना 7 दिवस मे अपीलान्त को उपलब्ध करवायी जावे। साथ ही भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का प्राथमिकता से व्यक्तिगत ध्यान देकर प्रावधानों मे तय समय सीमा मे निस्तारण किया जावें। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्त का निस्तारण किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p>	

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर